फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

गुलाब सिंह बनाम मेरठ वगै

मुकदमा संख्या / वर्ष : 192/2015

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/9/22	पत्रावली में S.C.M. अन्तर्गत [illegible] दिनांक 23/9/22 को पेश हो।
	23/9/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा कण्डोनेस [illegible] करने पर पत्रावली पुनर्विचार [illegible] 12/12/22
	12/12/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा कण्डोनेस/काय[illegible] पर पत्रावली पुनर्विचार दिनांक [illegible] 16/01/23
	16/01/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उप0। वकील पार्टी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत विड्रॉ किये जाने हेतु पेश किया जिसे शामिल फाइल किया गया। वकील पार्टी को सुना गया। वकील पार्टी को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वकील पार्टी के विड्रॉ प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है अतः प्रकरण को खारिज कर विड्रॉ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाकर पत्रावली विड्रॉ की जाती है। पत्रावली कोर्ट फीस वापस होकर नस्ती के रूप में बाद वापसी दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़